

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-कन्धरापुर

एक अदद तमंचा व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहे की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में दिनांक 06.07.2021 को उ0नि0 राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध असलहे के साथ धडसन विन्दवल मार्ग होते हुए ग्राम कोहडी सडक पुलिया की तरफ से आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 नौशाद अहमद, हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर ग्राम कोहडी सडक पुलिया पर पहुंचकर एक व्यक्ति को हमराही कर्म0 गण के मदद से समय करीब 19.45 बजे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मो0 महमूद पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

मो0 महमूद पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 96/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 नौशाद अहमद थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

थाना-रौनापार

तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद नाजायज पिस्टल 7.65 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद

वादी मुकदमा श्री हरिश्चन्द्र यादव पुत्र देवकी यादव (ग्राम प्रधान ग्रा0+पो0 देवारा इस्माईलपुर थाना रौनापार जिला आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर मु 0अ0सं0 119/21 धारा 307/504/506/34 भादवि बनाम 1. राहुल 2. दिनेश 3. राजेश पुत्रगण श्यामनरायन व 4. रामआशीष पुत्र धनुषधारी समस्त निवासीगण ग्राम देवारा इस्माईलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 राकेश यादव द्वारा आज दिनांक 07.07.2021 को इस्माईलपुर ढाला

के पास से समय करीब 11.20 बजे मु0अ0सं0 119/21 धारा 307/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त (1) राहुल यादव पुत्र श्यामनरायन सा 0 इस्माईलपुर थाना रौनापार आजमगढ़ को एक अदद नाजायज पिस्टल 7.65 बोर तथा मैगजीन के अन्दर 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर व एक अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा मु0अ0सं0 119/21 धारा 307/504/506/34 भादवि मे समय करीब 11.55 बजे दो नफर वांछित अभियुक्तगण 1. दिनेश पुत्र श्यामनरायन 2. रामआशीष पुत्र धनुषधारी साकिनान देवारा इस्माईलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- (1) राहुल यादव पुत्र श्यामनरायन सा0 इस्माईलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- (2) दिनेश पुत्र श्यामनरायन सा0 इस्माईलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- (3) रामआशीष पुत्र धनुषधारी साकिनान देवारा इस्माईलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

अभियुक्त राहुल यादव पुत्र श्यामनरायन सा 0 इस्माईलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद नाजायज पिस्टल 7.65 बोर तथा मैगजीन के अन्दर 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 बोर बरामद होना। व एक अदद खोखा कारतूस

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 119/21 धारा 307/504/506/34 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 122/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त राहुल यादव पुत्र श्यामनरायन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राकेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 रामनिवास यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 मुरारी जायसवाल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

पोक्सो एक्ट का अभियुक्त गिरफ्तार

वादिनी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि मेरी पुत्री अपनी पुत्रि उम्र करीब 7 वर्ष थाना महाराज गंज जनपद आजमगढ़ मेरे घर पर करीब एक वर्ष से रह रही है। दिनांक 04.07.2021 समय करीब 8.30 बजे सुबह मेरी नातीन घर के बाहर खेल रही थी उस समय मेरे घर में कोई मौजूद नहीं था तभी मेरे गाँव का स्वामीनाथ पुत्र स्व0 कुमार मेरी नातीन को बदनीयत से गोद में उठाकर मेरे खाली घर में अन्दर ले गया तभी मैं हैंड पम्प से पानी भर कर वापस आई तो मैंने देखा की मेरे गाँव का स्वामीनाथ मेरी नातीन से छेड़ छाड़ कर रहा था तथा मुझे देख कर मेरी नातीन को छोड़ कर भाग गया उसके बाद मेरी नातीन ने रो-रो कर मुझे ये बात बतायी। वादिनी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 98/2021 धारा 452/354-A IPC व 9/10 पोक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व

बरामदगी हेतु अभियान के तहत आज दिनांक 07.07.2021 को मुखबीरी सूचना पर उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा मय हमराहियान के मुखबीरी सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त स्वामीनाथ पुत्र कुमार निवासी मरगूपुर, कौड़िया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 98/2021 धारा 452/354A IPC व 9/10 पोक्सो एक्ट को मठिया सुजानपुर पुलिया थाना क्षेत्र कप्तानगंज से समय 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 98/2021 धारा 452/354A IPC व 9/10 पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त

स्वामीनाथ पुत्र कुमार निवासी मरगूपुर, कौड़िया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज, आजमगढ़
2. का0 नित्यानन्द सिंह
3. का0 पंकज यादव

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।

42 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की